न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 126/2021 निर्णय दिनांकः– 18-08-25
(जीसीएमएस संख्या 2021/241)

1. रामूराम पुत्र श्री अमलूराम जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. सुधाकर पुत्र गिरधारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल आबाद जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–02–2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री रणजीत निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 28–02–2001 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन में चक 2 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 218/19 की भूमि का आवंटन किया गया। के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट के दादा श्री खुमाराम पुत्र श्री ईशरराम के नाम से वाके रोही ग्राम गोकुल में एक खेत खसरा नम्बर 441 में 37.02 बीघा गैर खातेदारी भूमि चली आ रही थी जिस पर अपीलांट के दादा के पश्चात् पिता व अब अपीलांट काबिज होना लगातार काश्त करता चला आ रहा है तथा चक बन्दी के पश्चात् आराजी जैर बहस में से अर्थात चक 2 आर.एम. के मु.नं. 218/19 के किला नम्बर 10 ता 12, 19 ता 22 बीघा भूमि तो अपीलांट के नाम किला फिटिंग कर दी गई व शेष कब्जा काश्त की भूमि अर्थात चक 2 आर.एम. के मु.नं. 218/19 के किला नम्बर 1 ता 8, 15, 16 की भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई चक किला नम्बर 24. 25 जये कि गैर मुमकीन नाडा (तलाई) व किला नम्बर 9 व 13 की भूमि गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर आराजीराज दर्ज कर दी गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विज्ञप्ति जारी किए व बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 28.02.2001 को चक 2 आर.एम. के मु.नं. 218/19 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25 की 15.7 बीघा अनकमाण्ड भूमि का मनमाने ढंग से सिंगल प्रार्थना पत्र रख कर आदेश पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया गया है जिसमें मियादं अधिनियम बाधक नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया नही गया। ऐसे में जैसे ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई, प्रथम जानकारी से अपीलांट द्वारा बिना विलम्ब किये अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि विशेष आवंटन गजट की भूमि है जिसके आवंटन शर्तों के मुताबिक उस भूमि की आवंटन करवाने का प्रथम हकदार उसी गांव का व्यक्ति या उसी तहसील का व्यक्ति होता है जो भूमि आवंटन हेतु विज्ञापित है तथा इस वरियतानुसार अपीलांट व उसका परिवार प्रथम वरियता प्राप्त व्यक्ति था तथा रेस्पो. संख्या 1 जो कि बीकानेर जिले का वाशिन्दा भी नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा मनमाने ढंग से व वरियता का अतिक्रमण करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि जिला चूरू का वाशिन्दा है को भूमि आवंटन कर भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 को चक 2 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 218/19 के कि.नं. 1 ता 8, 15, 16 की भूमि जो कि अपीलांट की पुश्तैनी गैर खातेदारी भूमि थी। गलत किला फीटिंग करके आराजीराज दर्ज कर विशेष आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 2 आरएम के मुरब्बा नम्बर 218/19 के किला नम्बर 24. 25 जो कि गैर मुमकिन नाडा (तलाई) की भूमि थी व इसी प्रकार किला नम्बर 9 व 13 की भूमि गैर मुमकिन रास्ता जो कि ग्राम माणकासर से ग्राम गोकुल की तरफ जाता है जो कि रिकार्ड नक्शा में भी अंकित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध जाकर रेस्पो. सं. 1 को विशेष आवंटन में आवंटन कर भारी विधिक भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–02–2001 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 2 आरएम के मुरब्बा नम्बर 218/19 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल तादादी 15.7 बीघा अनकमाण्ड भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को विशेष आवंटन द्वारा आवंटित की गई। उक्त भूमि की समस्त राशि रेस्पोडेन्ट द्वारा खजानाराज में जमा करवा दी गई थी तथा आवंटन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में जारी कर दिया गया था तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त है। अपीलांट उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी गैर खातेदारी भूमि बता रहा है। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन में आवंटित हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि की खातेदारी भी जारी हो चुकी है।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 20 वर्ष उपरान्त उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, वह 20 वर्ष के विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के युक्तियुक्त कारण नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने से अपीलांट्स की अपीलें मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के किलाा नम्बर 24 व 25 में गैर मुमकिन नाड़ा (तालाब) बना हुआ है। अगर उक्त भूमि पर गैर मुमकिन नाड़ा बना हुआ है तो अपीलांट का कब्जा कैसे हुआ। उक्त कथन विरोधाभासी प्रतीत होते है। सूची नम्बर 4 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मेरे खसरे अपीलांट की भूमि से नही बने है। उपरोक्त भूमि उपनिवेशन रिकॉर्ड के मुताबिक बनी ही नही है। आगे कथन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किये कि अपीलांट को उपरोक्त अनवानी अपील प्रस्तुत करने का लॉक्स स्टेण्डाई हासिल नही है। अपीलाण्ट अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार से हितबद्ध एव आवश्यक पक्षकार नही है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद का बिन्दू तय किया जाना है। अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया गया है जिसमें मियादं अधिनियम बाधक नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया नही गया। ऐसे में जैसे ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई, प्रथम जानकारी से अपीलांट द्वारा बिना विलम्ब किये अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 20 वर्ष उपरान्त उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, वह 20 वर्ष के विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के युक्तियुक्त कारण नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे में विधि का भी सिद्धान्त है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में तथा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया हो वहां पर पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दुरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट को चक 2 आरएम के मुरब्बा नं. 218/19 के किला नम्बर 1, 2 से 9, 13, 14 से 18, 23 ता 25 की भूमि जरिये विशेष आवंटन आवंटित हुई जिसकी रेस्पोडेन्ट को खातेदारी मिल चुकी है। अपीलांट की अपील का मुख्य आधार यह है कि खसरा नम्बर 441 में 37.02 बीघा गैर खातेदारी भूमि पर अपीलांट के पूर्वजो का कब्जा था इसमें से 22 बीघा भूमि की किला फिटिग अपीलांट के नाम कर दी गई तथा शेष भूमि अराजीराज दर्ज की गई। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट की किला फिटिंग वाली भूमि और रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि अलग–अलग है। जो भूमि अराजीराज थी वह रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई है। सूची नम्बर 4 के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि के खसरे अपीलांट की भूमि से नही बने है। इस सूरत में अपीलांट को अपील लाने की अधिकारिता हासिल नही होती है।

जहॉ तक अपीलांट का यह ऐतराज है कि किला नम्बर 24 व 25 गैर मुमकिन नाड़ा तथा किला नम्बर 9 व 13 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि थी जिसका कि रेस्पोडेन्ट को गलत रूप से आवंटन किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यह सही है कि गेर मुमकिन किस्म की भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है परन्तु इस सूरत में इस भूमि का आवंटन करवाने का अधिकारी अपीलांट भी नही है। उक्त किला नम्बर 9, 13, 24 व 25 के आवंटन के विरूद्ध अपीलांट न्यायालय जिला कलक्टर में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अतः अपीलांट किसी भी सूरत में प्रकरण में व्यथित पक्षकार नही होने से अपील पेश करने का अधिकारी नही है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा किये गये आवंटन चक 2 आरएम के मुरब्बा नं. 218/19 के किला नम्बर 9, 13, 24 व 25 की जॉच करे। यदि यह भूमि गैर मुमकिन श्रेणी की पाई जाती है तो आवंटित भूमि में से इस भूमि का आवंटन रदद् करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर, बीकानेर एवं तहसीलदार, बज्जू को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18-08-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर